मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 25, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

1. राष्ट्रगीत

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत ''वन्दे मातरम्'' के गायन से प्रारम्भ हुई।

2. शपथ

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 183-महेश्वर (अ.जा.) से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य, श्री मेव राजकुमार ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

3 . निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, रामलखन सिंह, पारस सकलेचा, सदस्यगण, कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री द्वारा सर्वश्री एन. के.पी. साल्वे, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, नंदलाल माटा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा तथा दारा सिंह सुप्रसिद्ध पहलवान एवं कलाकार के निधन पर शोकोदगार व्यक्त किये गये।

सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर, दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की गई। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.48 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 10.56 बजे पुन: समवेत हुई।

4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 8 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 71 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 70 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

भोपाल में आयकर छापे सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग विषयक

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उपनेता प्रतिपक्ष तथा कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा भोपाल में आयकर छापे सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव की दी गई सूचना पर सदन में चर्चा की मांग की गई। श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री, श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री द्वारा ''मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली'' के नियम 55 (क), ''संसदीय पद्धति एवं व्यवहार (कौल एवं शकधर)'' के पृष्ठ 501 प्रश्नकाल से शून्यकाल तक (पं. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, पूर्व माननीय अध्यक्ष) पुस्तिका के पृष्ठ ''234 तथा सभापति व्यवस्थाएं (1993-98)'' ''के संबंधित उद्धरणों के संदर्भ देते हुए विचार व्यक्त किए कि यह स्थगन प्रस्ताव राज्य शासन से संबंधित न होने और सदन की विषय वस्तु का नहीं होने के कारण इस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि – ''सारे तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, विधानसभा की नियमावली एवं प्रक्रिया के तहत मैं इस स्थगन प्रस्ताव को चर्चा के लिए अस्वीकार करता हूँ तथा इस पर चर्चा की अनुमति नहीं देता हूँ।''

(सर्वश्री आरिफ अकील एवं महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग के समर्थन में सदन से बहिर्गमन किया गया)

6. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -
(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर में आत्महत्या करने की घटनाएं बढ़ने,
(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल परिवहन कार्यालय में दलाली की जाने,
(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की खाचरौद नागदा में पंचायते भवन विहीन होने,
(4) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य की डिण्डोरी में एकलव्य विद्यालय का भवन निर्माण न होने,
(5) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम में अवैध खनन होने,
(6) श्रीमती नीता पटैरिया, सदस्य की जिला सिवनी में एम्बुलेंस खराब होने,
(7) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मंडला जिले के घुघरी ग्राम के विद्युत विहीन होने,
(8) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ के ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण न किये जाने,
(9) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर के ग्रामों में सड़क निर्माण घटिया स्तर से किये जाने,
(10) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की इंदौर महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल संस्था को निजी हाथों में जाने से रोकने,
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के अधिकांश सदस्यगण गर्भगृह में आए। सदन में अत्यधिक शोरगुल एवं व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यान्ह 12.05 बजे कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित की गई। कार्यवाही 12.35 बजे पुन: समवेत हुई।)

7. अध्यक्षीय व्यवस्था (कमश:)

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग के समर्थन में पूर्वोदाहरण दिया गया किन्तु अध्यक्ष महोदय द्वारा इस विषय पर पूर्व में ही एक बार व्यवस्था हो जाने के कारण, पुन: चर्चा की अनुमति नहीं दी गई।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के अधिकांश सदस्यगण गर्भगृह में आए) (सदन में व्यवधान के चलते कार्यवाही जारी रही ।)

8. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार –
(i) मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 2 सन 2012) तथा
(ii) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2012, (क्रमांक 3 सन 2012)
पटल पर रखे।

9. प्रश्नोत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-अप्रैल, 2012 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

10. नियम 267-क के अधीन सूचनाओं तथा उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-अप्रैल, 2012 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

11. राष्ट्रपति /राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 1 विधेयक को राष्ट्रपति महोदय एवं 18 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। अत: निम्नलिखित विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक –	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश परिसर किराएदारी विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010)	अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2012

क्र.	राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक –	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2012
2.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2012
3.	मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2012
4.	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 11 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2012
5.	मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2012
6.	मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2012
7.	मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2012
8.	मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2012
9.	मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि विधेयक, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2012
10.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2012
11.	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2012
12.	मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2012
13.	बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2012
14.	मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2012
15.	मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2012
16.	मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 25 सन् 2012
17.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2012
18.	मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012)	अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2012

12. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में छात्रों को गणवेश हेतु दिये गये चेकों का भुगतान न होने तथा

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के खाचरौद नगर में सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने सम्बन्धी ध्यान आकर्षण की सूचनाएं सदन में अत्यधिक व्यवधान होने के कारण सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

13. शासकीय संकल्प

खेती में लगने वाले रासायनिक उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने विषयक

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"सदन का यह मत है कि केन्द्र सरकार खेती में लगने वाले रासायनिक उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापिस लेने हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करे, ताकि कृषकों को राहत मिल सके.".

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में व्यवधान के कारण, इस शासकीय संकल्प पर कल दिनांक 17 जुलाई, 2012 को चर्चा कराने सम्बन्धी घोषणा की गई।

अपराह्न 12.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 26, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 16 जुलाई, 2012